

:- आम सूचना :-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-2623 दिनांक 24.05.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में पटना जिलान्तर्गत सभी काराओं में गैर शासकीय परिदर्शक की नियुक्ति हेतु सुयोग्य व्यक्ति के नामों की अनुशंसा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को भेजे जाने निमित्त केवल प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, (गैर राजनितिक व्यक्ति) शिक्षाविद् मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सीय सेवा में पेशेवर व्यक्ति से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

पटना जिलान्तर्गत गिनांकित काराओं के नाम के सामने संख्याओं में गैर शासकीय परिदर्शकों के रिक्तियाँ निम्नवत है :-

| क्रमांक | कारा का नाम | पुरुष की संख्या | महिला की संख्या | कुल संख्या |
|---------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर, पटना | 04 | 02 | 06 |
| 2 | शिविर मंडल कारा फुलवारीशरीफ | 02 | 01 | 03 |
| 3 | उपकारा, दानापुर | 01 | 01 | 02 |
| 4 | उपकारा मसाँढी | 01 | 01 | 02 |
| 5 | उपकारा पटना सिटी | 01 | 01 | 02 |
| 6 | उपकारा बाढ़ | 01 | 01 | 02 |

गैर शासकीय परिदर्शक किसी प्रकार के दैनिक भते के हकदार नहीं होंगे, किन्तु बंदी गृह के प्रत्येक दौरे के लिए उन्हें परिवहन भता देय होगा।

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति अंतिम रूप से दिनांक 31/12/17 तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला पदाधिकारी, पटना को आवेदन पत्र भेज सकते हैं। गैर शासकीय परिदर्शक नियुक्ति संबंधी नियम/मापदण्ड पटना जिला के वेबसाइट www.patna.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

80/-

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक- 2844 / सा० दिनांक- 27/11/2017

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस सूचना तथा नियुक्ति संबंधी नियम/मापदण्ड को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सूचना का प्रकाशन अपने जिला के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :- महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ बिहार, पटना के पत्रांक-2623 दिनांक- 24.05.2017 एवं पत्रांक-5740 दिनांक-06.10.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

27/11
जिलाधिकारी
पटना।

परिदर्शक पर्वद

पदेन परिदर्शक

719. निम्नलिखित पदाधिकारी तथा ऐसे अन्य पदाधिकारी जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इसके लिए नियुक्त करे, अपने-अपने क्षेत्रों में शासकीय प्रभार के अध्यक्षीन अथवा अपने अधिकार क्षेत्र में केन्द्रीय/मंडल/उपकारा के पदेन परिदर्शक होंगे।

- (i) प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग
- (ii) प्रमण्डलीय आयुक्त
- (iii) जिला एवं सत्र न्यायाधीश
- (iv) जिला मैजिस्ट्रेट
- (v) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
- (vi) असेनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन)
- (vii) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग
- (viii) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग
- (ix) जिला शिक्षा पदाधिकारी जो शैक्षिक कार्यक्रमों से संबद्ध हों
- (x) उप काराओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी
- (xi) निदेशक (नियोजन एवं प्रशिक्षण)
- (xii) स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य निदेशक
- (xiii) कारा एवं सुधार सेवाएँ विभाग, मुख्यालय के सभी पदाधिकारी
- (xiv) सहायक कारा महानिरीक्षक (सभी क्षेत्रों के)

शासकीय परिदर्शक का दौरा

720. शासकीय परिदर्शकों द्वारा वर्ष भर में किये जाने वाले दौरे असीमित होंगे, किन्तु इसकी संख्या चार से कम नहीं होगी।

गैर शासकीय परिदर्शकों की नियुक्ति

721. राज्य सरकार राज्य के सभी काराओं के गैर शासकीय परिदर्शकों को नियुक्त करेगी। ये नियुक्तियाँ सामान्यतः स्थित कारा के जिला मैजिस्ट्रेट की अनुशंसा पर की जायेंगी। जिला मैजिस्ट्रेट अपने स्त्रोतों से गैर शासकीय परिदर्शकों के रूप में नियुक्ति हेतु संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा/करेगी तथा उनकी सहमति की मांग सहित इस आशय का पत्र उन्हें देगा/देगी। अपनी सहमति भेजने वाले उम्मीदवारों का पैनल गृह विभाग के विचारार्थ, राज्य सरकार के अंतिम निर्णय तथा बिहार गजट में अधिसूचित करने हेतु अग्रसारित

किया जाएगा। केवल प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सीय सेवा के पेशेवर की ही नियुक्ति गैर शासकीय परिदर्शकों के रूप में की जाएगी।

- 1 केन्द्रीय कारा के लिए कम-से-कम छः गैर शासकीय परिदर्शक होंगे।
- 2 मंडल कारा के लिए कम-से-कम तीन गैर शासकीय परिदर्शक होंगे।
- 3 उप कारा के लिए कम-से-कम दो गैर शासकीय परिदर्शक होंगे।

नोट:—वैसे कारा, जहां महिला बंदियों के लिए महिला कक्ष/खण्ड होंगे, वहां एक महिला गैर शासकीय परिदर्शक होगी।

गैर शासकीय परिदर्शकों की पदावधि

722. प्रत्येक कारा के गैर शासकीय परिदर्शकों की नियुक्ति उसी तिथि से तीन वर्षों के लिए की जाएगी तथा प्रत्येक पदावधि की समाप्ति के साथ ही वे पुनर्नियुक्ति के योग्य होंगे। गैर शासकीय परिदर्शक किसी प्रकार के दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे, किन्तु बंदीगृह के प्रत्येक दौरे के लिए उन्हें परिवहन भत्ता दिया जाएगा। मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के द्वारा जब एक अवधि के भीतर पद रिक्त होती है, तब सामान्यतः नये परिदर्शक की नियुक्ति उस परिदर्शक की शेष अवधि के लिए की जाएगी, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई है।
723. जिला मैजिस्ट्रेट संभावित गैर शासकीय परिदर्शकों का पैनाल तैयार करने की दिशा में गैर शासकीय परिदर्शकों की अवधि समाप्ति से तीन माह पूर्व कदम उठायेगा।

साप्ताहिक भ्रमण का रोस्टर

724. जिला मैजिस्ट्रेट जिले के विभिन्न काराओं के लिए गैर शासकीय परिदर्शकों की नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर ऐसे सभी गैर शासकीय परिदर्शकों की एक बैठक आयोजित करेगा तथा उनके परामर्श से प्रत्येक कारा के लिए उनका नाम दौरे के रोस्टर पर प्रदर्शित करेगा।
725. प्रत्येक शासकीय एवं गैर शासकीय परिदर्शक को उसके आगामी सप्ताह के कारा के दौरे से अवगत कराने के उद्देश्य से यह जिला मैजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह कारा को साप्ताहिक दौरे का रोस्टर व्यवस्थित करे। इन भ्रमण के लिए सप्ताह का कोई दिन निश्चित नहीं होगा, बल्कि इसे परिदर्शकों के ऊपर छोड़ा गया है कि वे किसी भी कार्य दिवस में, जो उनके अनुकूल हो, सामान्य काल में कारा का भ्रमण (निरीक्षण) करें।
726. यदि कोई परिदर्शक, किसी कारणवश रोस्टर के अनुकूल अपनी बारी (टर्न) में कारा का दौरा करने में असमर्थ रहता है तो वह ऐसा अगले माह में कर सकेगा बशर्त कि वह ऐसा करने की सम्मति कारा के अधीक्षक को संसूचित करेगा/करेगी।
727. यदि किसी गैर शासकीय परिदर्शक को उस स्थान से, जहां स्थित कारा का वह परिदर्शक है, छः माह या उससे अधिक की अनुपस्थिति संभावित हो, तो वह उन परिस्थितियों का

प्रतिवेदन जिला मैजिस्ट्रेट को देगा, इसलिए कि यदि आवश्यक हुआ तो विकल्प को नियुक्त किया जा सकेगा तथा उसके द्वारा ऐसा प्रतिवेदन नहीं दिये जाने की दशा में उसके प्रस्थान के तीन माह पूरे होने पर पद रिक्त समझा जाएगा।

बंदीगृह के कर्मियों तथा वासियों से गैर शासकीय परिदर्शक का परिचय

728. गैर शासकीय परिदर्शकों की नियुक्ति किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर कारा का अधीक्षक कर्मियों तथा अंतःवासियों के साथ उनका औपचारिक परिचय के लिए किसी विशेष दिन को पधारने के लिए प्रत्येक गैर शासकीय परिदर्शक को संबोधित आमंत्रण पत्र देगा।

कारा भ्रमण के लिए गैर शासकीय परिदर्शक को कारा नियमावली एवं मार्गदर्शिका की आपूर्ति

729. कारा का अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक में कारा दौरे से संबंधित मार्गदर्शिका तथा कारा नियमावली की आपूर्ति गैर शासकीय परिदर्शकों को की गयी है।

कारा में परिदर्शकों के नामों का प्रदर्शन किया जाना

730. अधीक्षक की ओर से कारा के प्रवेश-द्वार पर एक पट्टिका लगायी जाएगी जिस पर सभी शासकीय एवं गैर शासकीय परिदर्शकों के साथ-साथ जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा तैयार गैर शासकीय परिदर्शकों का रोलर अंकित होगा। सभी परिदर्शकों के नाम, पता एवं उनके फोन नं० की सूची प्रमुख स्थानों पर तथा बंदियों एवं उनसे मिलने वालों के उपयोग हेतु साक्षात्कार स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी। जब शासकीय और गैर शासकीय परिदर्शक भ्रमण पर नहीं हों, तब अन्तःवासियों को अपनी आवश्यकताओं के संबंध में अपने खर्च पर पत्र लिखकर अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी।

परिदर्शक के साथ कारा के कर्मों का होना

731. कारा में आने वाले प्रत्येक परिदर्शक के साथ एक जवाबदेह पदाधिकारी की व्यवस्था अधीक्षक करेगा। परिदर्शक-पक्ष की तिमाही बैठक में अधीक्षक उनके साथ रहेंगे अथवा उपाधीक्षक को उनके साथ रहने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा। परिदर्शक बंदियों के साथ समूह में घाल करेंगे तथा बंदी विशेष के साथ निजी साक्षात्कार की अनुमति नहीं होगी।

परिदर्शकों के कर्तव्य

732. परिदर्शक के कार्य में शामिल होंगे:-

1 यह सुनिश्चित करना कि बंदियों एवं कारा के प्रबंधन को विनियमित करने वाले विधि, नियमों एवं आदेशों का कारा में सम्यक् रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

2 कारा में प्रशिक्षण के स्तर एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना तथा कारा की आधारभूत संरचना/सुविधाओं की वास्तविकता के साथ सुधारात्मक कार्य का अनुश्रवण करना।

3 सुधारात्मक कार्य में सुधार को प्राथमिकता देने वाले नये उपाय सुझाना।

4 बंदियों की सामूहिक शिकायत का अध्ययन करना तथा कारा प्राधिकारों के परामर्श से उसे दूर करना।

नोट:— एक परिदर्शक किसी बंदी/बंदिनी से उसकी किसी शिकायत के बारे में पूछ सकता है, किन्तु ऐसी शिकायत के विषय में पूछ-ताछ करना उसका कर्तव्य नहीं है, यदि वे शिकायत अधीनस्थ पदाधिकारी के विरुद्ध है, तो वह इसके संबंध में पूछताछ के लिए अधीक्षक को कहेगा/कहेगी और यदि वे अधीक्षक के विरुद्ध होंगी तो आवश्यक कार्रवाई हेतु मामले को पर्षद के अध्यक्ष को अग्रेसरित करेगा/करेगी।

733. परिदर्शक कारा के भ्रमण के दौरान निम्नलिखित जाँच आवश्यक रूप से करेगा:

1. पर्याप्त सुविधा
2. भवन की अवस्था एवं मरम्मत की स्थिति
3. कारा के कक्ष, परिसर, शौचालय, नाली आदि की पर्याप्तता तथा स्वच्छता
4. जलापूर्ति की पर्याप्तता तथा स्वास्थ्यप्रदता
5. बंदियों का सामान्य स्वास्थ्य
6. बंदियों के भोजन की मात्रा और गुणवत्ता
7. वस्त्र तथा बिछावन की पर्याप्तता
8. कारा में अनुशासन
9. कारा की सुरक्षा
10. लम्बे समय से निरोधावस्था में रखे गये विचाराधीन बंदी
11. चिकित्सीय सुविधाएं
12. मानवीय अधिकारों की सुरक्षा
13. पुनर्वासन कार्यक्रम
14. शिकायत निवारण प्रणाली
15. भूख हड़ताल पर बंदी
16. अनुशासनिक आधार पर बंदियों को अलग करना

734. एक शासकीय या गैर शासकीय परिदर्शक गोपनीय प्रकृति को छोड़कर कारा के किसी विभाग के प्रशासन से संबद्ध सभी प्रकार की बही, पेपर तथा अभिलेख की मांग कर सकेगा। किन्तु अधीक्षक किसी परिदर्शक की जाँच के लिए किसी बही, पेपर या अभिलेख को प्रस्तुत करने से अस्वीकार कर सकेगा, यदि वह लिखित में कारणों को अभिलिखित प्रस्तुत करने से अवाञ्छित समझे।

735. कोई परिदर्शक कारा के किसी अधीनस्थ पदाधिकारी को आदेश अथवा निदेश जारी नहीं कर सकेगा।
736. गैर शासकीय परिदर्शक किसी ऐसे बंदी की जाँच नहीं कर सकेगा जिससे थिकित्सीय कारणों से पूछताछ की अनुमति नहीं हो।
737. भ्रमण तथा बंदी से हुई बातचीत के बाद परिदर्शक उसे लिखित रूप में अधीक्षक को सूचित करेगा।

परिदर्शक की मिनट पुस्तिका तथा अभ्युक्तियों/सुझावों का प्रक्रमण

738. शासकीय एवं गैर शासकीय परिदर्शकों के प्रयोग के लिए मात्र एक पुस्तिका होगी। अधीक्षक की अनुमति के बिना फोटो कॉपी के अतिरिक्त पुस्तिका को कारा परिसर से बाहर नहीं ले जायी जा सकेगी। (परिदर्शक मिनट पुस्तिका के लिए उपाबंध 36 निर्देशित)
739. प्रत्येक परिदर्शक कारा का दौरा पूर्ण करने के बाद इसे परिदर्शक पुस्तिका में जाँच की तिथि तथा समय अभिलिखित करेगा तथा कारा की आंतरिक व्यवस्था अथवा अनुशासनिक अवस्था के विषय में कोई अभ्युक्ति अथवा सुझाव, जिसे वह देना चाहे, उसमें दर्ज करेगा। परिदर्शक अपने हस्तलेख में प्रविष्टि दर्ज करेंगे तथा परिदर्शक पर्सद के मामले में अध्यक्ष के हस्तलिखित में अन्य सभी सदस्य मिनट पुस्तिका में अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे अथवा अध्यक्ष के हस्तलिखित के अतिरिक्त मिनट पुस्तिका अभिलिखित करेंगे।
740. परिदर्शक द्वारा परिदर्शक पुस्तिका में दर्ज की गयी अभ्युक्तियों को नितान्त गोपनीय मानी जाएगी तथा इसे किसी बंदी अथवा कारा से बाहर किसी व्यक्ति के समक्ष उद्घाटित नहीं किया जा सकेगा।
741. अभ्युक्तियों/सुझावों की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अधीक्षक प्रत्येक बिन्दु पर अपना मतव्य और दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशासनिक स्थिति के बारे में अभ्युक्ति की एक प्रति महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ को अग्रसारित करेगा। महानिरीक्षक, कारा परिदर्शक की सभी महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों तथा उस पर कारा के अधीक्षक के विचार, यदि कोई हो, राज्य सरकार के सूचनार्थ एवं आदेशार्थ अग्रसारित करेगा। इस संबंध में महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ अथवा राज्य सरकार के किसी आदेश की प्राप्ति पर अधीक्षक आदेशों का पालन करेगा तथा संबद्ध परिदर्शक को आदेशों की एक प्रति अग्रसारित करेगा।

परिदर्शक—पर्षद

743. जिले के सभी काराओं के शासकीय एवं गैर शासकीय परिदर्शकों से एक परिदर्शक—बोर्ड गठित होगा तथा जिला मैजिस्ट्रेट इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। शासकीय तथा गैर शासकीय परिदर्शक संयुक्त रूप से कम-से-कम तीन माह में एक बार जिले के काराओं का भ्रमण करेंगे।
744. परिदर्शक—पर्षद की अर्द्धवार्षिक बैठक अध्यक्ष द्वारा अवधारित तिथि को होगी जिसमें जिले के सभी काराओं के शासकीय, गैर शासकीय एवं प्रभारी पदाधिकारी भाग लेंगे। इस बैठक के प्रयोजनार्थ गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।
745. अन्तःवासियों के अनुरोध पर ध्यान देने तथा मिनट पुस्तिका में परिदर्शकों द्वारा दर्ज अभ्युक्तियों पर विचार करने के अतिरिक्त परिदर्शक—पर्षद का एक मुख्य कार्य सामाजिक संसाधनों के प्रयोग द्वारा तथा बाह्य एजेंसियों का समर्थन जुटाकर सुधार सेवाओं के विकास में कारा प्रशासन को परामर्श एवं सहायता देना है।
746. उप महानिरीक्षक, कारा तथा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ का यह कर्तव्य होगा कि वे जब कभी बंदीगृह का दौरा करें तो परिदर्शक पर्षद से मिलें।

राज्यस्तरीय बैठक

747. सभी कारा के शासकीय एवं गैर—शासकीय परिदर्शकों की एक राज्य—स्तरीय बैठक प्रत्येक वर्ष होगी। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे तथा इसमें शासकीय एवं गैर—शासकीय परिदर्शक, सभी काराओं के अधीक्षक तथा कारा एवं सुधार सेवाएँ विभाग मुख्यालय के पदाधिकारीगण भाग लेंगे। कारा सुधार के संबंध में कारा एवं सुधार सेवाएँ विभाग विभिन्न शासकीय एवं गैर शासकीय परिदर्शकों के दौरों संबंधी टिप्पणियों के आधार पर एक कार्यसूची तैयार करेगा तथा बैठक में चर्चा हेतु इसका अग्रिम परिचालन करेगा।

सरकार की किसी व्यक्ति को परिदर्शक के रूप में नियुक्त करने, पुनः नियुक्त करने अथवा हटाने की शक्ति

748. इन नियमों में निहित कोई बात सरकार द्वारा किसी भी समय, किसी व्यक्ति को शासकीय या गैर शासकीय परिदर्शक के रूप में नियुक्त करने, पुनः नियुक्त करने या उसे हटाने की उसकी शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

अन्य परिदर्शक

749. विभाग के अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, कारा के प्रभारी अनुमण्डलीय अभियंता एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के अनुमण्डलीय अभियंता तथा कारा में लोक कार्य में संलग्न

ऐसे कर्मी अपने कार्य संपादन के निमित्त यथापेक्षित कारा परिसर का उपयोग बे-रोकटोक कर सकेंगे।

750. कारा हस्तक में अन्यत्र उपबधित के सिवाय, सरकार के उच्चतर पदाधिकारी के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी बंदीगृह में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक उसके साथ कारा अधीक्षक न हो अथवा उसके पास अधीक्षक अथवा महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएँ की या मंडल कारा के मामले में जिला मैजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति न हो।
751. कारा के आकस्मिक परिदर्शक का किसी बंदी से बातचीत करने या किसी प्रकार का संपर्क करना निषिद्ध होगा तथा कारा के किसी अधिकारी द्वारा ऐसे परिदर्शक को किसी बंदी के बारे में बताना अथवा उनके अपराध को निर्दिष्ट करना निषिद्ध होगा।

